

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

नि०न० - 108/2022

अनवान : -

1. साधुराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट साकिन झांसल तहसील भादरा ।

:-वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
2. सुभाष पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
3. कलावती पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
4. ओमी पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
5. भतेरी पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
6. चन्द्रो पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
7. कमलेश उर्फ बोबदा पुत्री ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
8. रोशनी उर्फ भूरी ताराचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
9. सबल देवी उर्फ मरवण बेवा गजानन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
10. सोनू पुत्र गजानन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
11. रितू पुत्री गजानन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
12. कविता पुत्री गजानन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सोमवीर यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 जेएसएल के खाता सं० 40/38 के मु० नं० 12 के किला नं० 13, 14, 17 ता 25, मु० नं० 13 के किला नं० 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 मु० नं० 21 के किला नं० 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 6/4 मु० नं० 22 के किला नं० 1 ता 5, 8 ता 10, मु० नं० 65 के किला नं० 13/1, 14, 16 ता 19, 23 ता 25 मु० नं० 78 के 0.0510 है० गै०मु० कुँआ कुल कित्ता 38 की 7.6280 हैक्टर नहरी, बारानी कृषि भूमि मय गै०मु० रास्ता व कुँआ तथा चक 3 जेएसएल के खाता सं० 38/32 के मु० नं० 34 के किला नं० 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3 कुल कित्ता 12 की 1.7710 हेक्टर नहरी मय गै०मु० रास्ता व खाला कृषि भूमि इस प्रकार उक्त दोनो चको की कुल 9.3990 हैक्टियर नहरी व बारानी मय गै०मु० रास्ता खाला व कुँआ कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द को के नाम पूर्ण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादी साधुराम को 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष को 3/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 सबल देवी उर्फ मरवण, सोनू, रितू, कविता को संयुक्त रूप से 3/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 3 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 संयुक्त रूप से के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड (कल्पित) शिवरान R.A.S.)
 भादरा (उपखण्ड) अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़

